दिनांक 18.06.2018

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2018 हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. नीट यू0जी0 2018 के समस्त पात्र अभ्यर्थी जो उपरोक्त काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपनी केडिंडेट प्रोफाईल का लॉगिंन आई0डी0 एवं पासवर्ड एवं अन्य संबंधित जानकारी किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें, जिससे इसका दुरूपयोग न हो।

2. रजिस्ट्रेशन से पूर्व संचालनालय की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रशन यूजर मेनुअल एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 भली भॉती पढ़कर समझ लें। किसी प्रकार का संशय होने पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के ई–मेल mpugpg2018@gmail.com पर अपनी समस्या प्रेषित कर इसका निराकरण करायें। नियमानुसार रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरान्त अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन की प्रवृष्टियों में कोई संशोधन नहीं कर पायेगा।

3. अभ्यर्थी को पंजीकृत (Registered) तभी माना जायेगा जब अभ्यर्थी ने पंजीयन हेतु ऑनलाईन फीस जमा कर दी हो।

4. पंजीकरण की प्रकिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.06.2018 रात्री 12:00 बजे तक जारी रहेगी। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्यूटर का फेल होना, तकनीकि त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

5. रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन फार्म में खाता संख्या, (Account Number) आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC Code) बैंक का नाम (Bank Name)ब्रांच का नाम (Branch Name) एकाउंट होल्डर का नाम (Account Holder Name) मोबाईल

नंबर आदि वहीं हो जिनके माध्यम से अभ्यर्थी काउंसिलिंग की प्रक्रिया हेतु लेन–देन करना चाहता है।

6. काउंसिलिंग के समस्त चरणों की प्रक्रिया ऑनलाईन की जानी है अतः अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संस्था की निर्धारित फीस का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से किया जाना है। अभ्यर्थी किसी भी एकाउंट से निर्धारित फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं ऑनलाईन आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कर सकता है। फीस के भुगतान हेतु अभ्यर्थी एक से अधिक एकाउंट, डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भुगतान संबंधी परेशानी से बचने के लिए खातों में संस्था की निर्धारित फीस के अनुसार पर्याप्त राशि रखें।

7. अभ्यर्थी किसी भी चरण की च्वाईस फिलिंग करने के उपरान्त अपनी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें, च्वाईस लॉक न किये जाने की स्थिति में भरी गई च्वाईस मान्य नहीं होगी एवं अभ्यर्थी उस चरण में आवंटन हेतु पात्र नहीं होगा।

8. आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के समय प्रारूप–1 में उल्लेखित मूल दस्तावेजों के साथ अभिलेखों के सत्यापन हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित हो।

9. राज्य की शासकीय एवं निजी/ चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त राज्य कोटे की सीटों (एमबीबीएस/बीडीएस), जिसमें निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध एन0आर0आई0 कोटे की सीटें भी सम्मिलित हैं की प्रवेश हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0 2018 के माध्यम से की जायेगी।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश